

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 685]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 — पौष 8, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-07/2019/सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 वर्ष 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट उप-खण्ड की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन उप-खण्ड सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क.	जिला	वर्तमान उप-खण्ड	नवीन उप-खण्ड	वर्तमान उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील	नवीन उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	बड़े बचेली	तहसील-दन्तेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, बड़े बचेली एवं कुआकोण्डा	तहसील-बड़े बचेली एवं कुआकोण्डा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 29th December 2020

NOTIFICATION

No. F 11-07/2019/Seven-4.- In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government alters the limits of Sub-Division specified in column (3), create a new Sub-Division specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Code, namely :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Sub-Division	New Sub-Division	Tehsil included in Present Sub-Division	Tehsil included in new Sub-Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dantewada	Dantewada	Bade Bacheli	Tehsil- Dantewada, Gidam, Katekalyan, Bade Bacheli and Kuwakonda.	Tehsil- Bade Bacheli and Kuwakonda.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.R. THAKUR, Joint Secretary.